

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, डुण्डाउत्तरकाशी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, डुण्डा, उत्तरकाशी

उपखण्ड डुण्डा उत्तरकाशी परिक्षेत्र के उत्तरकाशी वन प्रभाग की धरासू रेंज के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani(Total Length-19.4 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.582 है० तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.582 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –) की दिनांक ६/१२/१८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **लक्ष्मी अरवि** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री **लक्ष्मी अरवि** उप जिलाधिकारी **SUTJ SA** अध्यक्ष
2. श्री **आलु बिहारी** उप प्रभागीय वनाधिकारी **SA** सदस्य
3. श्री **गोपी प्रसाद** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **SA** सदस्य
4. श्री **लीला प्रसाद** बी०डी०सी० क्षेत्र **SA** सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के धरासू रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani (Total Length-19.4 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.582 है० तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.582 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (धरासू) उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डुण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरकाशी वन प्रभाग के धरासू रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani (Total Length-19.4 KM)** तक को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

तहसील..... / जनपद.....

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी